16.10.25	पत्रावली पेश हुई अनुपा... बहस हेतु समय चाहा पत्रावली वास्ते बहस आगामी दिनांक 7.11.25 को पेश हो।
7.11.25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्य... दौरे मे तशरीफ रखते है। अभिभाषकगण अन्य कार्य मे व्यस्त है। अतः पत्रावली गबिक कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली वास्ते कार्यवाही हेतु दिनांक 21.11.25 को पेश हो।
21.11.25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्य... दौरे मे तशरीफ रखते है। अभिभाषकगण अन्य कार्य मे व्यस्त है। अतः पत्रावली गबिक कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली वास्ते कार्यवाही हेतु दिनांक 2.1.26 को पेश हो।
2-1-26	पत्रावली पेश हुई। राजस्थान बार कौंसिल के पूर्व अध्यक्ष के निधन होने से अभिभाषकगण द्वारा कन्डोलेन्स किया गया वास्ते सामान्य कार्यवाही पत्रावली दिनांक 6-2-26 को पेश हो।
6-2-26	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अधिवक्ता अ.. वास्ते बहस पत्रावली 20-2-26 को पेश हो।
20-2-26	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

पीठासीन अधिकारी
श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी(RAS)

67 / प्रा0पत्र / 2023
दायरा दिनांक 27.09.2023

बउनवान

1. महावीर आ0 कालूलाल जाति रावल निवासी दौलतपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
2. मेना कुमारी पुत्री कालूलाल जाति रावल निवासी दौलतपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
3. महेश आ0 कालूलाल जाति रावल निवासी दौलतपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
4. रघुवीर आ0 कालूलाल जाति रावल निवासी दौलतपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
5. ललता कुमारी पुत्री कालूलाल जाति रावल निवासी दौलतपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
6. शीला कुमारी पुत्री कालूलाल जाति रावल निवासी दौलतपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
7. सजना बाई पत्नी कालूलाल जाति रावल निवासी दौलतपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. कैलाशचन्द आ0 बन्शीलाल जाति मीना निवासी दौलतपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
2. राजू आ0 बन्शीलाल जाति मीना निवासी दौलतपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
3. अलीघन्टा आ0 रूघनाथ जाति मीना निवासी नयागांव तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
4. मदन आ0 प्रहलाद जाति मीना निवासी नयागांव तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
5. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

दिनांकः– 20.02.2026

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 400/1 रकबा 1.95 हैक्टर, ख0सं0 400/5 रकबा 0.50 हैक्टर कुल किता 2 योग रकबा 2.45

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

हैक्टर वाके ग्राम नयागांव पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0 में स्थित है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 के खाते की कृषि भूमि की सीमाबन्दी व प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि की सीमाबन्दी एक समान है लेकिन अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 आये दिन सीमाबन्दी को लेकर प्रार्थीगण से लडाई–झगडा करते है इस कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का तहसील कार्यालय में सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 29.06.2018 को सीमाज्ञान करवाया गया था सीमाज्ञान रिपोर्ट में प्रार्थीगण की कृषि भूमि को नाप कर सीमाबन्दी से प्रार्थीगण को राजस्व कर्मचारियों द्वारा अवगत नही कराया गया और न यह प्रार्थीगण को बताया कि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि मौके पर कितने बीघा है और कितनी बीघा मौके पर कम है।

प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण के मध्य प्रार्थीगण की कृषि भूमि की सीमाबन्दी बाबत आये दिन लडाई झगडा होते रहते है इस कारण प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाना चाहते है ताकि प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि की चतुर्थसीमा के बारे में स्पष्ट ज्ञान हो सके। इसलिए प्रार्थीगण को वैधानिक अधिकार प्राप्त है कि वे न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने खाते की कृषि भूमि की सीमाबन्दी करवाने हेतु सीमाचिन्ह अंकित करावें जबकि अप्रार्थीगण को इस बाबत कोई ऐतराज करने का विधिक अधिकार प्राप्त नही है ओर अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी की कृषि भूमि की सीमाबन्दी अनुसार सीमाचिन्ह लगाये जाकर पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश अप्रार्थी संख्या 5 को दिए जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की तरफ से जर्ये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की कृषि भूमि समीप होना स्वीकार कर सीमाचिन्हो बाबत कोई विवाद पक्षकारो के मध्य नही होना बताया गया है पक्षकार अपनी अपनी कृषि भूमि पर काबिज काश्त है। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 29.06.2018 के सीमाज्ञान के अधार पर अप्रार्थी संख्या 3 व उनके परिवार के विरूद्व झूठा मुकदमा और अवैध कब्जा करने की कार्यवाही पूर्व में की थी को लेकर वर्ष 2023 में पत्थरगढी की कार्यवाही की है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 3 का दो अडाई बीघा कृषि भूमि पर कब्जा होना स्वीकार किया है जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 3 व उसके परिवार के विरूद्व कब्जा लेने की कोई कार्यवाही नही की। प्रार्थीगण के द्वारा बेदखली की कार्यवाही धारा 183 बी आर0टी0एक्ट में कार्यवाही तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा की जानी चाहिए थी जिसकी चाराजोही नही कर प्रार्थीगण ने झूठी कार्यवाही पुराने सीमाज्ञान बाद असत्य तथ्यों के आधार पर की है जो खारिज करने योग्य है ओर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

हमारे द्वारा उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के मुताबिक आराजी खसरा संख्या 400/1 रकबा 1.95 हैक्टर, ख0सं0 400/5 रकबा 0.50 हैक्टर किता 2 योग रकबा 2.45 हैक्टर ग्राम नयागाव पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी स्थित कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण की खातेदारी दर्ज रिकार्ड होने से प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with OKEN Scanner

अपनी कृषि भूमि की सीमाओं की पुख्ता निशानदेही के लिए पत्थरगढी करवाने के कानूनन अधिकारी है। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एंव सलग्न दस्तावेज से यह भी प्रतीत होता है कि उक्त सीमाज्ञान संबन्धित पूर्व में भी विवाद होना स्पष्ट होता है प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 29.06.2018 को भी सीमाज्ञान कराया गया था प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि की पुख्ता पैमाइश कराकर पत्थरगढी कराने के अनुतोष चाहते है जिससे सीमा विवाद समाप्त हो जायें। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत होगा।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार इन्द्रगढ़ को आदेश दिया जाता है कि राजस्व कर्मचारियों की टीम गठित कर प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 400/1 रकबा 1.95 हैक्टर, ख0सं0 400/5 रकबा 0.50 हैक्टर कुल किता 2 योग रकबा 2.45 हैक्टर वाके ग्राम नयागांव पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित कृषि भूमि की पैमाईश पुख्ता सीमाज्ञान चिन्ह से उभयपक्ष की मौजूदगी में बन्दोबस्त नक्शे अनुसार सीमाए चिन्हित कर पत्थरगढी करवाई जावे। तथा आराजी का सीमाकंन एंव पत्थरगढी करवाई जाने वाले व्यय को प्रार्थीगण कृषक खातेदार द्वारा वहन किया जावेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 20.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with OKEN Scanner